... अदालत उपखण्ड अधिकारी, ...

मुकदमा नं. राजस्व वाद सं. 67/15 किदामी देवी / जेठूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18/07/19	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य ~~मुख्यालय से~~ बाहर पधारे हैं। अत: पत्रावली दिनांक 23/07/19 को पेश हो।	
23/07/19	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य ~~मुख्यालय से~~ बाहर पधारे हैं। अत: पत्रावली दिनांक 11.09.19 को पेश हो।	
11.9.19	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य ~~मुख्यालय से~~ बाहर पधारे हैं। अत: पत्रावली दिनांक 17.9.19 को पेश हो।	
17.9.19	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य ~~मुख्यालय से~~ बाहर पधारे हैं। अत: पत्रावली दिनांक 23.9.19 को पेश हो।	
23/9/19	वकील पक्षी उप० अतिरिक्त [illegible] [illegible] की ओर से [illegible] प्रस्तुत था [illegible] order 22 Rule (3) पर उक्त [illegible] उत्तराधिकारियों की [illegible] करनी है। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 25/9/19 को पेश हो।	
25.09.19	वकालतनामा [illegible] अदम पैरवी होने से खारिज किया जाता है। आदेश [illegible] के निर्णय [illegible] शामिल [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।	वाद सं. 67/2015 किदामी देवी / जेठूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:10:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व वाद सं. 67/2015 (कम्प्यूटर नं. 2015/00119)

वादीगण

1. बिदामीदेवी पत्नि स्व. भंवरलाल जाति नायक निवासी कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जेठूराम पुत्र भंवरलाल
2. लादूराम पुत्र भंवरलाल
3. महेन्द्र पुत्र मांगीलाल
4. मुन्नी पत्नि मांगीलाल
5. किशन पुत्र मांगीलाल जाति समस्त नायक नि. कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी
6. सरीता पत्नि सुरेंद्र कुमार जाति बलाई नि. दासा की ढ़ाणी तहसील व जिला सीकर
7. सुवा पुत्री कानाराम
8. देवीलाल पुत्र भैरूराम
9. मूली देवी पत्नि भैरूराम
10. सब रजिस्ट्रार कुचामनसिटी
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर।

राजस्व वाद इस्तकरार हक व भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 88 188 R.T.Act 1955

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 कायम मुकाम बाबत दिनॉक 23.07.2019

उपस्थित – श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 25.09.2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता द्वारा दिनॉक 23.07.2019 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 के तहत वादिया के कायम मुकाम करने बाबत प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादिया बिदामीदेवी की दिनॉक 18.02.2018 को मृत्यु हो चुकी है जिसके निम्न कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिया जावे:–

1. जेठूराम पुत्र भंवरलाल फौत
1/1 रतनलाल पुत्र जेठूराम
1/2 मुन्नालाल पुत्र जेठूराम
1/3 मन्जुदेवी पुत्री जेठूराम
1/4 मुकेश पुत्र जेठूराम
1/5 केशरदेवी पत्नि जेठूराम
2. लादूराम पुत्र भंवरलाल
3. कंवरी पुत्री भंवरलाल
4. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल फौत
4/1 महेन्द्र पुत्र मांगीलाल
4/2 किशन पुत्र मांगीलाल
4/3 मुन्नी पत्नि मांगीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:10:59 IST
Reason: SelfAttested

....2.....

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आये तथा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया, साथ ही प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 का जवाब प्रस्तुत कर सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की प्रार्थना–पत्र दिनॉक 23.07.2019 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई, वादी वकील का कथन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में देरी जरूर हुई है परन्तु देरी का कारण नगरपालिका कुचामनसिटी से वारिस प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में हुई है, जो आज दिन तक प्राप्त नही हुआ है, वार्ड पार्षद किशन सामरिया नगरपालिका कुचामनसिटी से दिनॉक 20.07.2019 को जारी करवा कर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो दिनॉक 23.07.2019 को प्रस्तुत किया गया है जो मयाद बाहर है, बिदामी देवी की मृत्यु दिनॉक 18.02.2018 को चुकी थी जिसकी सूचना इस न्यायालय में दिनॉक 23.07.2019 को प्रस्तुत की गई है, जो करीबन एक साल के पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी का कारण नही दर्शाया गया है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र भी वादी द्वारा प्रस्तुत नही किया है इसलिये वाद अबेट हो चुका है अतः वाद खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, प्रश्नगत प्रकरण में वादीया बिदामीदेवी की मृत्यु 18.02.2018 को हो चुकी थी, जिसकी सूचना वादी को 90 दिवस में प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी, वादी वकील द्वारा उक्त वादीया के फौत होने की सूचना दिनॉक 23.7.2019 को प्रस्तुत की है तथा देरी का कारण एवं मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है, तथा देरी के कारणो का प्रार्थना–पत्र में भी उल्लेख नही किया गया है, इसलिए वाद वादीया कायम मुकाम समय अवधि में प्रस्तुत नही करने के कारण एवं मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र प्रस्तुत नही करने से अबेट हो चुका है, अतः वाद वादीया अबेट होने से खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीया अबेट होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनाँक 25-09-19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:10:59 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)